रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-29122025-268871
CG-DL-E-29122025-268871

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5760] नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 23, 2025/पौष 2, 1947
No. 5760] NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 23, 2025/PAUSHA 2, 1947

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

(कृषि एवं किसान कल्याण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 दिसम्बर, 2025

का.आ. 5957(अ).— पहचान स्थापित करने के लिए आधार संख्या का उपयोग, व्यक्तियों को सुविधाजनक और निर्बाध रीति से सहायकी, प्रसुविधा और सेवाएं प्राप्त करने में सक्षम बनाता है तथा आवश्यक दस्तावेजों की बहुलता को समाप्त करने के साथ-साथ, प्रक्रियाओं को सरल बनाता है और पारदर्शिता और दक्षता को बढ़ावा देता है:

और भारत सरकार (जिसे इस मे इसके पश्चात् उक्त मंत्रालय कहा गया है) के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन (जिसे इस मे इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) को प्रशासित कर रहा है;

और राज्य सरकार और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन (जिसे इसमें इसके पश्चात् कार्यान्वयन अभिकरण कहा गया है) भारत सरकार के उक्त मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत उक्त स्कीम को कार्यान्वित कर रहा है।

और प्रशिक्षित नामांकित किसानों को दो वर्षों के लिए प्रति एकड़ प्रति वर्ष चार हजार रुपये की दर से उत्पादन आधारित प्रोत्साहन के रूप में वित्तीय सहायता (जिसे इस मे इसके पश्चात् उक्त प्रसुविधा कहा गया है) उक्त स्कीम और

उसके संबंध में जारी किए गए निर्देशों और दिशा-निर्देशों के अधीन प्राकृतिक खेती करने वाले नामांकित किसानों (जिन्हें इस मे इसके पश्चात् हिताधिकारी कहा गया है) को दी जाएगी;

और उक्त स्कीम के लिए व्यय भारत की संचित निधि से वहन किया जाएगा।

"और उक्त मंत्रालय इस बात की वांछा करता है कि उक्त फायदें की प्राप्ति के शर्त के रूप में हिताधिकारी की पहचान स्थापित करने के उद्देश्य से ऐसे हिताधिकारी की पहचान करनी होगी या उसके पास आधार संख्या इसका प्रमाण प्रस्तुत करना होगा या यदि किसी व्यक्ति को कोई आधार नंबर आवंटित नहीं किया गया है, तो वह रजिस्ट्री के लिए आवेदन करेगा।

अतः, आधार (वित्तीय और अन्य सहायकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं के लक्षित परिदान) अधिनियम, 2016 (2016 का 18) [जिसे इस मे इसके पश्चात् उक्त अधिनियम' कहा गया है] की धारा 7 के उपबंधो के अनुसरण में, भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित को अधिसूचित किया जाता है, अर्थात:—

1. (1) उक्त स्कीम के अंतर्गत उक्त प्रसुविधा प्राप्त करने के इच्छुक व्यक्ति को प्रमाणीकरण कराना होगा अथवा आधार संख्या होने का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा।

(2) यदि किसी व्यक्ति को आधार संख्या नहीं दी गई है, तो उस मामले में उसे नामांकन के लिए आवेदन करना होगा:

(3) आधार (नामांकन और अद्यतन) विनियम, 2016 के विनियम 12 के उपबंधों के अनुसार, उक्त अभिकरण सुनिश्चित करेगी कि ऐसे हिताधिकारिओं का नामांकन किया जाए जो अभी तक नामांकित नहीं हैं, या उनके आधार संबंधी विवरण को उचित उपायों के माध्यम से अपडेट किया जाए, जिसमें रजिस्ट्रार के साथ समन्वय और सुविधाजनक स्थानों पर नामांकन केंद्रों की स्थापना या स्वयं रजिस्ट्रार बनकर नामांकन सुविधाएं प्रदान करना सम्मिलित है।

परन्तु जब तक ऐसे हिताधिकारिओं को आधार नंबर आवंटित नहीं किया जाता है, वह निम्नलिखित दस्तावेज़ प्रस्तुत कर अपनी पहचान स्थापित कर सकता है जिनके लिए वह पात्र है और जो प्रस्तुति के समय वैध हैं, या, उस सॉफ्टवेयर के मामले में जो कार्यान्वयन अभिकरानियो द्वारा प्रदान या अनुमोदित किया गया है ऐसे पहचान के लिए इलेक्ट्रॉनिक रूप से दस्तावेज़ों की सामग्री को प्रमाणित करने के लिए जानकारी प्राप्त करने का समर्थन करता है, संबंधित अधिकारियों के डेटाबेस से, तो सहमति देकर, अर्थात्:—

(क) हिताधिकारी द्वारा नामांकन की प्रक्रिया पूरी कर लेने पर नामांकन केंद्र में ऑपरेटर द्वारा ईआईडी वाली पावती; तथा

(ख) निम्नलिखित दस्तावेज़ों जिसमें हिताधिकारी की तस्वीर हो, में से कोई एक अर्थात्:—

(i) भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा जारी मतदाता फोटो पहचान पत्र;

(ii) राशन कार्ड;

(iii) कार्यकारी मजिस्ट्रेट जो राजपत्रित अधिकारी है या राज्य सरकार के राजस्व अधिकारी है जो तहसीलदार के पद से नीचे नहीं है, द्वारा जाति प्रमाण पत्र या निवास प्रमाण पत्र, जारी किया गया हो;

(iv) किसी सरकारी इकाई या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम द्वारा सेवानिवृत्त या सेवारत सरकारी सेवक या उनके परिवार के सदस्य को जारी किया गया चिकित्सा या बीमा पहचान पत्र;

(v) भारतीय पासपोर्ट;

(vi) किसी मान्यता प्राप्त स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी मैट्रिक या 10वीं कक्षा या उच्चतर माध्यमिक या 12वीं कक्षा के प्रमाण पत्र या अंकपत्र;

(vii) एक सरकारी इकाई या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम द्वारा सेवारत या सेवानिवृत्त सरकारी सेवक को जारी किया गया पहचान पत्र या अन्य पहचान दस्तावेज;

(viii) दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2017 के अधीन अधिसूचित चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा जारी दिव्यंगता प्रमाण पत्र, या दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, भारत सरकार द्वारा जारी विशिष्ट दिव्यंगता पहचान (यूडीआईडी) कार्ड;

(ix) भारत में जारी चालक अनुज्ञप्ति:

(x) देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता वाले बालकों या विधि का उल्लंघन करने वाले बालकों के संबंध में, जिसे किशोर न्याय (बाल की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 (2016 का 2) के अधीन संबंधित राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के अधीन रजिस्ट्री बाल देखभाल संस्थान द्वारा रखा गया है, ऐसी संस्था के प्रभारी, अधीक्षक, बाल कल्याण अधिकारी या परिवीक्षा अधिकारी द्वारा जारी उसकी जन्मतिथि निर्दिष्ट करने वाला प्रमाण पत्र;" या

(xi) हिताधिकारी जो विधिक अभिभावक है तो, संरक्षक और प्रतिपालय अधिनियम, 1890 (1890 का 8), किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015, ऑटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी, मानसिक मंदता और बहु विकलांग व्यक्तियों के कल्याण के लिए राष्ट्रीय ट्रस्ट अधिनियम, 1999 (1999 का 44) या विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 (2016 का 49) और उक्त अधिनियमों के अधीन प्रयोज्य नियमों और विनियमों के अधीन किसी न्यायालय या सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया दत्तक ग्रहण आदेश या विधिक अभिभावकत्व को स्थापित करने संबंधी अन्य दस्तावेज।

(xii) कार्यान्वयन अभिकरण द्वारा निर्दिष्ट कोई अन्य दस्तावेज।

4. इस संबंध में कार्यान्वयन अधिकरणों द्वारा नामित एक अधिकारी उप-पैरा (3) के अधीन प्रस्तुत दस्तावेजों या उनकी विषय-वस्तु को स्थापित करने वाली जानकारी का सत्यापन करेगा, जिसमें माई आधार पोर्टल (https://myaadhaar.uidai.gov.in/portal) पर ईआईडी जमा करके नामांकन के अनुरोध की स्थिति की जानकारी ली जा सकती है, जिससे यह पुष्टि की जा सके कि ईआईडी वैध है और नामांकन अनुरोध अस्वीकार नहीं किया गया है; और वह ऐसे किसी सरकारी संस्थान या प्राधिकरण से जानकारी ले सकता है या साझा कर सकता है जो ऐसे दस्तावेजों में निहित जानकारी की तैयारी या रखरखाव करते हैं।

2. उक्त लाभ हिताधिकारिओं को आसानी से प्राप्त करने के लिए, उक्त मंत्रालय अपनी कार्यान्वयन अधिकरण की माध्यम से उक्त स्कीम के अंतर्गत आधार संख्या की आवश्यकता के विषय में हिताधिकारिओं को जागरूक करने के लिए मीडिया के माध्यम से व्यापक प्रचार सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगा।

3. किसी भी बायोमेट्रिक आधारित प्रमाणीकरण विधि (अर्थात् चेहरे की छवि, उंगलियों के निशान या आईरिस स्कैन आधारित प्रमाणीकरण) के माध्यम से जहां किसी लाभार्थी के आधार नंबर का प्रमाणीकरण बायोमेट्रिक जानकारी की कमी जैसे किसी भी कारण से विफल हो जाता है, वहाँ निम्नलिखित उपचारात्मक तंत्र अपनाए जाएंगे, अर्थात:

(क) यदि प्रमाणीकरण का कोई विशेष बायोमेट्रिक-आधारित रीति सफल नहीं होती हो, तो बायोमेट्रिक-आधारित प्रमाणीकरण या वन-टाइम पिन (ओटीपी) आधारित प्रमाणीकरण का कोई अन्य रीति, जहां भी संभव और स्वीकार्य हो, दिया जाएगा;

(ख) ऐसे मामलों में जहां प्रमाणीकरण के लिए बायोमेट्रिक आधारित या ओटीपी आधारित विधि संभव नहीं हैं, उक्त स्कीम के अधीन प्रसुविधा, आधार सिक्योर क्विक रिस्पांस (क्यूआर) कोड या आधार पेपरलेस ऑफलाइन ई-केवाईसी दस्तावेज, जैसा भी मामला हो, पर यूआईडीएआई के डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र का ऑफलाइन सत्यापन कर आधार संख्या की वास्तविकता स्थापित करने के बाद, निम्नलिखित में से किसी के आधार पर दिया जा सकता है:- नामत:

(i) आधार क्यूआर स्कैनर या एमआधार ऐप का उपयोग कर क्यूआर कोड को स्कैन करके ऑफ़लाइन सत्यापन के माध्यम से इसकी वास्तविकता स्थापित होने के बाद अर्थात, आधार सुरक्षित त्वरित प्रतिक्रिया (क्यूआर) कोड जिसमें आधार कार्ड, आधार पत्र या ई-आधार या आधार क्यूआर स्कैनर या एमआधार ऐप का उपयोग करके क्यूआर कोड को स्कैन करके ऑफ़लाइन सत्यापन के माध्यम से इसकी वास्तविकता स्थापित होने के बाद; या ई-आधार (अर्थात, यूआईडीएआई की वेबसाइट से डाउनलोड करने योग्य आधार पत्र की पासवर्ड सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक प्रति या इसके एमआधार ऐप का उपयोग करके एक्सेस किया जा सकता है),

(ii) यूआईडीएआई की वेबसाइट पर इस संबंध में दिए गए विवरण के अनुसार, इस उद्देश्य के लिए संबंधित मंत्रालय या विभाग या स्कीम कार्यान्वयन अभिकरण द्वारा विकसित एप्लिकेशन के माध्यम से दस्तावेज पर यूआईडीएआई के डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र के ऑफ़लाइन सत्यापन के माध्यम से इसकी वास्तविकता स्थापित होने के बाद, आधार पेपरलेस ऑफलाइन ई-केवाईसी दस्तावेज (यूआईडीएआई की वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है या इसके एमआधार ऐप के सुलभ उपयोग द्वारा किया जा सकता है); या

4. यह सुनिश्चित करने के लिए कि अठारह वर्ष या उससे अधिक आयु के वास्तविक हिताधिकारी उक्त स्कीम के अधीन उनको मिलने वाली प्रसुविधा से वंचित न रहें इसके लिए कार्यान्वयन अभिकरण प्रत्यक्ष लाभ अंतरण मिशन, मंत्रीमंडल सचिवालय, भारत सरकार के कार्यालय ज्ञापन संख्या डी-26011/04/2017-डीबीटी, दिनांक 19 दिसंबर, 2017 (https://dbtbharat.gov.in पर उपलब्ध) में निर्दिष्ट अपवाद हैंडलिंग तंत्र का पालन करेंगी।

5. यह अधिसूचना सिक्किम राज्य, लक्षद्वीप और चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्रों को छोड़कर सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारिख से प्रभावी होगी।

[फा. सं. 2-3/2025-एनएमएनएफ]

फ्रैंकलिन एल. खोबुंग, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE

(DEPARTMENT OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE)

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd December, 2025

S.O. 5957(E). —Whereas the use of Aadhaar number to establish identity enables individuals to receive subsidies, benefits and services in a convenient and seamless manner, obviates the need for multiplicity of documents to establish identity, simplifies processes and promotes transparency and efficiency;

And whereas the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, in the Government of India (hereinafter referred to as the said Ministry) is administering National Mission on Natural Farming (hereinafter referred to as the said scheme);

And whereas, the State Government and Union territory Administration (hereinafter referred to as the implementing agency) is implementing the said scheme under the purview of the said Ministry in the Government of India.

And whereas, the financial assistance as Output Based incentive to trained enrolled farmers at the rate of Four Thousand Rupees per acre per year for two years (hereinafter referred to as the said benefit) is given to the enrolled farmers practicing Natural Farming (hereinafter referred to as the beneficiaries) under the said scheme and the instructions and guidelines issued in respect thereof;

And whereas, expenditure for the said scheme is incurred from the Consolidated Fund of India;

And whereas, the said Ministry is desirous, for the purpose of establishing identity of a beneficiary as a condition for the receipt of the said benefit, require that such beneficiary undergo authentication, or furnish proof of possession of Aadhaar number or in the case of an individual to whom no Aadhaar number has been assigned, make an application for enrolment;

Now, therefore, in pursuance of the provisions of section 7 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016, (18 of 2016) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government hereby notifies the following, namely: —

1. (1) An individual desirous of availing of the said benefit under the said scheme shall be required to undergo authentication, or furnish proof of possession of Aadhaar number.

(2) In case such an individual has not been assigned an Aadhaar number, he shall be required to make an application for enrolment.

(3) In accordance with the provisions of regulation 12 of the Aadhaar (Enrolment and Update) Regulations, 2016, the Ministry through its Implementation Agencies shall ensure enrolment of such beneficiaries who are yet to be enrolled, or update their Aadhaar details through appropriate measures, including coordination with Registrars and setting up enrolment centres at convenient locations or providing enrolment facilities by becoming a Registrar itself:

Provided that till such time an Aadhaar number is assigned to such beneficiary, he may establish his identity to avail of the said benefit, by presenting the following documents to which he is entitled and which are valid at the time of presentation, or, in case the software provided or authorised by the implementing agencies for such identification supports electronic obtaining of information evidencing the contents of such documents from the database of the authorities dealing with the preparation or maintenance thereof, by giving his consent for so obtaining, namely:—

(a) The acknowledgement of the beneficiary having undergone the process of enrolment, provided by the operator at the enrolment centre, containing the EID; and

(b) any one of the following documents, having the beneficiary's photograph, namely: —

(i) Elector's Photo Identity Card issued by the Election Commission of India;

(ii) Ration card;

(iii) Caste certificate or domicile certificate, issued by a Gazetted officer who is an Executive Magistrate or a revenue officer of the State Government, not below the rank of Tahsildar;

(iv) Medical or insurance identity card issued by a government entity or public sector enterprise to a retired or serving public servant or his family member;

(v) Indian passport;

(vi) Certificate or statement of marks of matriculation or 10^{th} class or higher secondary or 12^{th} class, issued by a recognised board of school education;

(vii) Identity card or other identity document issued to serving or retired public servant by a government entity or a public sector enterprise;

(viii) Disability certificate issued by notified medical authority under the Rights of Persons with Disabilities Rules, 2017, or Unique Disability Identification (UDID) card issued by the Department of Empowerment of Persons with Disabilities (*Divyangjan*), Government of India;

(ix) Driving licence issued in India;

(x) in respect of a child in need of care and protection or a child in conflict with law, who is housed by Child Care Institution registered as such with the State Government concerned under the rules made by it under the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015 (2 of 2016), certificate specifying his date of birth issued by the person-in-charge, superintendent, child welfare officer or probation officer of such institution; or

(xi) in respect of a beneficiary who has a legal guardian, adoption order or other document to establish legal guardianship, which is issued by a court of law or competent authority under the Guardians and Wards Act, 1890 (8 of 1890), the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015, the National Trust for Welfare of Persons with Autism, Cerebral Palsy, Mental Retardation and Multiple Disabilities Act, 1999 (44 of 1999) or the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 (49 of 2016) and the applicable rules and regulations made under the said Acts; or

(xii) any other document as the implementing agencies may specify.

(4) An officer designated by the implementing agencies in this behalf shall verify the documents presented under sub-paragraph (3) or the information establishing the contents thereof, including the status of the enrolment request by submitting the EID on my Aadhaar portal (https://myaadhaar.uidai.gov.in/portal) to confirm that the EID is valid and that the enrolment request does not stand rejected; and may take the assistance and share the information with any government entity or an authority that deals with the preparation or maintenance of the information contained in such documents.

2. In order to enable the beneficiaries to avail of the said benefits conveniently, the said Ministry through its implementing agencies shall make all necessary steps to ensure wide publicity through media to make the beneficiaries aware of the requirement of Aadhaar number under the said scheme.

3. Where the authentication of the Aadhaar number of a beneficiary done through any of the biometric-based modes of authentication (namely, facial image, fingerprints or iris scan based authentication) fails due to any reason, such as poor quality of biometric information, the following remedial mechanisms shall be adopted, namely: —

(a) in case any particular biometric-based mode of authentication is not successful, any other mode of biometric-based authentication or one-time pin (OTP) based authentication shall, wherever feasible and admissible, be offered;

(b) in cases where biometric-based or OTP-based modes of authentication are not possible, benefits under the said scheme may, after establishing the genuineness of the Aadhaar number by doing offline verification of the digital signature certificate of UIDAI on the Aadhaar Secure Quick Response (QR) Code or the Aadhaar Paperless Offline e-KYC document, as the case may be, given on the basis of any of the following, namely:-

(i) an Aadhaar Secure Quick Response (QR) Code containing Aadhaar card, Aadhaar letter (*i.e.,* the letter issued to an Aadhaar number holder on generation of his Aadhaar number)or e-Aadhaar (*i.e.,* the password-protected electronic copy of Aadhaar letter downloadable from the website of UIDAI or accessible using its mAadhaar app), after its genuineness is established through offline verification by scanning the QR code using the Aadhaar QR Scanner or mAadhaar apps; or

(ii) Aadhaar Paperless Offline e-KYC document (downloadable from the website of UIDAI or accessible using its mAadhaar app), after its genuineness is established through offline verification of the digital signature certificate of UIDAI on the document through the application developed by the Ministry or Department or scheme implementing agency concerned for this purpose, in accordance with the details given in this regard on the website of UIDAI.

4. In order to ensure that *bonafide* beneficiaries who are aged eighteen years or above are not deprived of the said benefit due to them under the said scheme, the implementing agencies shall follow the exception handling mechanism specified in the Office Memorandum No. D-26011/04/2017-DBT, dated the 19th December, 2017 of the Direct Benefit Transfer Mission, Cabinet Secretariat, Government of India (available on https://dbtbharat.gov.in).

5. This notification shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette in all the States and Union territories, except the State of Sikkim, Union territories of Lakshadweep and Chandigarh.

[F.No.2-3/2025-NMNF]

FRANKLIN L. KHOBUNG, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. GORAKHA NATH YADAVA Digitally signed by GORAKHA NATH YADAVA Date: 2025.12.29 15:19:20 +05'30'